

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>चन्द्रशेखर चौहान बनाम लो.सू.अ.(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सरदारपुरा एवं अति. कलक्टर द्वितीय जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 68/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>03.06.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर चौहान पुत्र श्याम सुन्दर चौहान पता सदर बाजार, महामंदिर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.02.2019 में उसके द्वारा (1) सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के मतदाता सोहनलाल पुत्र मुन्नालाल (RJ/24/184/090990), का नाम सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में से हटाने की दिनांक व हटाने का आधार बतावे एवं हटाने के लिए की गई कार्यवाही का भी विवरण व दो बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-सरदारपुरा एवं अति. कलक्टर द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-सरदारपुरा एवं अति. कलक्टर द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अति.कलेक्टर द्वितीय जोधपुर) से जरिये सूचनार्थ पत्रांक 4264 दिनांक 29.05.19 (अपील संख्या 78/2019 के संलग्न है) प्राप्त हुआ। इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 68/2019 एवं अपील संख्या 78/2019 में चाही गई सूचना एक समान होने से यह अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	